


24/12/24

आज पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं
उभय पक्षों के बीच की बहस पर मजबूत
किये जाने पर्याप्त प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्थगन स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल मिसल रहे। बाद पूर्ति पत्रावली
कैसल शुमार होकर नंबर से कम हो
तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे।


सहायक कलक्टर
अमर